| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इ<br>तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 06/05/2024 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।<br>पत्रावली व उपलब्ध रेकॅर्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस व आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि प्रार्थीनी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.10.2021 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की पालाना अप्रार्थी पक्ष द्वारा नही किये जाने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कंटेम्ट की कार्यवाही किये जाने की दलील दी गई है। परंतु प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो यह प्रमाणित करे कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होते हुए उनके द्वारा भूमि बेचान, तथा बेचान का नामांतरकरण दाखिल/स्वीकृत किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित किये जाने का दायित्व प्रार्थी का था। प्रार्थी पक्ष द्वारा आदिनांक तक ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जो प्रमाणित करे कि दुदनी(बा.क्षे) के खसरा नंबर 234, 235, 236 कुल रकबा 4.41 हैक्टर के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण को हुई हो। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से साबित नही होने से कंटेम्ट की कार्यवाही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।<br><br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली<br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली | |

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *